कैलाश प्रसाद **फर्द अहकाम** गंगाराम

बनाम

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 132/2023

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा तामील रसीदें पेश की गयी जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी सं0 1 लगा 5 की तामिल हुए एक माह से अधिक हो गया है, बाबजूद सम्यक तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर सभी प्रतिवादियों के अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त विवादित ख0नं0 15 रकबा 0.6196 है0, 175/163 रकबा 2.0687 है0, 176/163 रकबा 0.0304 है0, 27 रकबा 0.4679 है0 स्थित ग्राम रामपुरावास दूधली पटवार हल्का दूधली भू0अ0नि0 दूधली तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद 146/2023 उनवान कैलाश बनाम गंगाराम के ताफैसला वाद के उक्त खसरा नम्बर पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो। **सहायक कलक्टर** **बस्सी, जयपुर ग्रामीण**	